न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16 / 2021 (2021 / 199) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मीठालाल आत्मज डालचन्द खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—30.11.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2419 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 2423 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता 2433 मुख्य सड़क से बिलानाम आराजी संख्या 2435 व 2452 के दक्षिणी पाली पर करीब 15 फीट चौड़े रास्ते से होकर बिलानाम आराजी संख्या 2424 की पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ा रास्ता से होकर आराजी संख्या 2419 जो प्रार्थी की है जिसमें प्रवेश करता है। मौके पर रास्ता विद्यमान है। इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी उक्त दोनो कृषि आराजियात में संज, बैल, गाड़ी ट्रैक्टर आदि लेकर आवागमन कर कृषि आराजियात में फसल लाभ ले रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन बाबत् कोई रास्ता विद्यमान नही है जिससे प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन का रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक न्यायोचित है। वर्तमान में उक्त रास्ता खुला हुआ है जिसे विपक्षी या अन्य कोई व्यक्ति अवरूद्व कर सकता है जिससे प्रार्थी उक्त रास्ते से महरूम हो जायेगा। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का रास्ता रायपुर से जगपुरा मुख्य गे.मु.रास्ता की आराजी संख्या 2433 की उत्तरी पाली पर होकर 2452 की उत्तरी पाली से लगते बिलानाम आराजी संख्या 2424 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौड़े रास्ते से प्रार्थी की आराजी संख्या 2419 एवं 2424 की पश्चिमी पाली के किनारे किनोर 15 फीट चौड़े रास्ते से प्रार्थी की आराजी संख्या 2423 में आवागमन के रास्ते को बिलानाम दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे। रास्ते की भूमि की डीएलसी दर तय करा विपक्षी को दिलाई जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.10.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब के रूप में मौका स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि आराजी संख्या 2419 रकबा 0.65 है0, 2423 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि मीठालाल पिता डालचन्द खटीक के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी हेतु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है। आराजी संख्या 2419, 2423 पर प्रार्थी खातेदार आराजी संख्या 2433 रकबा 0.19 है0 गे.मु.रास्ता में

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:34 IST
Reason: SelfAttested

होकर बिलानाम आराजी संख्या 2435 रकबा 1.10 है0 2452 रकबा 0.19 है0, 2424 रकबा 0.54 है0 में होकर आवागमन करता है। उक्त रास्ते को प्रार्थी सशुल्क रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। उक्त रास्ता मौके पर खुला होकर आवागमन के काम आ रहा है। उक्त रास्ता दर्ज करने में किसी को कोई सार्वजनिक आपत्ति नही होना जाहिर हुआ है। आ.स. 2435 रकबा 1.10 है0 मे से 0.025 है0, 2452 रकबा 0.29 है0 मे से 0.0600 है0, 2424 रकबा 0.54 है0 मे से 0.0450 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 भूमि मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रहा है। उक्त रकबे की डीएलसी दर आबादी के पास की असिंचित 302179/–रूपये प्रति है0 है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी रास्ते से सीधा बिलानाम भूमि में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही होना दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो बिलानाम सरकारी भूमि होकर पड़त है एवं प्रार्थी नियमानुसार भूमि कीमत देने हेतु सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 2419 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 2423 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2435 रकबा 1.10 है0 मे से 0.0250 है0, आराजी संख्या 2452 रकबा 0.29 है0 मे से 0.0600 है0, आराजी संख्या 2424 रकबा 0.54 है0 मे से 0.0450 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 302179 रूपये प्रति हैक्टयर से 39283 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 78566 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.11.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक-कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16/2021 (2021/199) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मीठालाल आत्मज डालचन्द खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 2419 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 2423 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2435 रकबा 1.10 है0 मे से 0.0250 है0, आराजी संख्या 2452 रकबा 0.29 है0 मे से 0.0600 है0, आराजी संख्या 2424 रकबा 0.54 है0 मे से 0.0450 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 302179 रूपये प्रति हैक्टयर से 39283 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 78566 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

30.11.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:34 IST
Reason: SelfAttested